प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बत्तीस' [3/3/2017]

विधानसभा सत्र फरवरी–मार्च 2017 बैठक दिनांक 03.03.2017

प्रश्न सं. [क्र. 3480]

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3480 प्रश्नकर्ता माननीय विधायक श्री सुखेन्द्र सिंह

(प्रपत्र–"अ")

जनसंकल्प 2013 में ऊर्जा विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही का विवरण :–

बिन्दु क्रमांक 9 विद्युत –

बिन्दु क्रमांक 9.1 – किसानों के बिजली चोरी के प्रकरणों का निराकरण समय समय पर लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है ।

बिन्दु क्रमांक 9.2 – विद्युत की उपलब्धता एवं विद्युत प्रदाय की स्थिति को देखते हुए मध्यप्रदेश केवल आत्म निर्भर ही नहीं बल्कि आधिक्य वाले राज्यों की श्रेणी में आ गया है । म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कम्पनी द्वारा वर्ष 2013 एवं 2014 के मध्य कुल 1700 मेगावॉट उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गई है । भविष्य में बढ़ी हुई मांग की आपूर्ति हेतु वर्तमान में 2X660 मेगावाट क्षमता की श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

बिन्दु क्रमांक 9.3 – प्रदेश में अल्ट्रा मेगा पॉवर प्लांट म.प्र.शासन द्वारा स्थापित नहीं किए गए हैं तथापि निजी संस्थानों द्वारा अल्ट्रा मेगा पॉवर प्लांट से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने हेतु शासन द्वारा सभी प्रकार का सहयोग प्रदान किया जा रहा है ।

बिन्दु क्रमांक 9.4 – पारेषण एवं वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यकतानुसार नए उपकेन्द्रों/लाईनों का निर्माण, लाईनों/उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि के कार्य विभिन्न योजनाओं में सतत् रुप से किए जाते हैं । वितरण कंपनियों द्वारा प्रति वर्ष वर्षा पूर्व एवं वर्षा पश्चात् रख–रखाव के कार्य किए जाते हैं । आवश्यकतानुसार पुराने तारों को बदलने तथा ढीले तारों को कसने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाती है ।

बिन्दु क्रमांक 9.5 – स्ट्रीट लाइटों में विद्युत खपत कम करने हेतु सौर ऊर्जा से चलित लाईटों की स्थापना का कार्य स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है ।

बिन्दु क्रमांक 9.6 – संविदा नियुक्ति में कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है । संविदा कार्मिकों को सेवा शर्तों के अनुसार सभी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाता है ।

बिन्दु क्रमांक 9.7 – विद्युत दरों का निर्धारण ~~माननीय~~ नियामक आयोग द्वारा जनसुनवाई के पश्चात् युक्तियुक्त तरीके से किया जाता है ।

बिन्दु क्रमांक 9.8 – स्पॉट बिलिंग हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

बिन्दु क्रमांक 9.9 – बिजली समस्याओं के निराकरण हेतु सतत् रुप से शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन सतत् रुप से किया जाता है ।

बिन्दु क्रमांक 9.10 – विद्युत दुर्घटना होने पर प्रत्येक प्रकरण के गुणदोष के आधार पर राहत अनुदान (मुआवजा) देने के प्रावधान किया गया है ।

3-3-2017

(श्याम लाल)
अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल